



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31102023-249810
CG-DL-E-31102023-249810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4558]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945

No. 4558]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4746(अ).—केन्द्रीय सरकार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 नवंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में जहाँ तक क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का संबंध है, उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 2(1)/2022-सीएल]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण : मूल अधिनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 1 में 2016 का अधिनियम संख्यांक 18, तारीख 26 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् 2019 का अधिनियम संख्यांक 14, तारीख 24 जुलाई, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st October, 2023

S.O. 4746(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 30th day of November, 2023 as the date on which the provisions of the said Act, insofar as it relates to serial number 42 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), shall come into force.

[F. No. 2(1)/2022-CL]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist 'G'

Note : The principal Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, *vide* the Act number 18 of 2016, dated the 26th March, 2016 and subsequently amended *vide* the Act number 14 of 2019, dated the 24th July, 2019.